5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES — CANCELLED
5रु. भारत पाँच रुपये — CANCELLED
5रु. भारत पाँच रुपये — CANCELLED
5रु. भारत पाँच रुपये Rs. INDIA FIVE RUPEES — CANCELLED
बीस रुपये TWENTY RUPEES INDIA COURT — CANCELLED

181

I/A/राजी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/1698

कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा प्रस्तुतकर्ता 06 MAR 2017 अधीक्षक कलेक्टर

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर

326

1- अतुल पिता स्व. दिनकर राव दाढ़े, उम्र करीब 45 साल
2- अनुरोध पिता स्व. दिनकर राव दाढ़े, उम्र करीब 36 साल
3- श्रीमती मंदा पत्नि स्व. दिनकर राव दाढ़े, उम्र करीब 65 साल
सभी निवासी- 41, विवेकानंद कॉलोनी, छिंदवाड़ा
तह0 व जिला छिंदवाडा

श्री एन0 के0 पटेल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत, प्रस्तुतकार रीडर 21 APR 2017 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

4- श्रीमती अर्पणा पति प्रभाकर राव लुंगे, उम्र करीब 43 साल
निवासी- 37-बी, परस्पर गृह निर्माण समिति,
चूना भट्टी कोलार रोड , भोपाल तहसील एवं जिला भोपाल .... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन ......उत्तरवादी

राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता

न्यायालय नजूल अधिकारी छिंदवाडा के रा0प्र0क्रं-95/अ-6/2015-2016, अतुल दाढे एवं अन्य विरुद्ध म0 प्र0 शासन में पुनरीक्षणकर्ता व्दारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 20/ 01/2016 से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित आधारों पर एवं अन्य आंधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता व्दारा मौजा छिन्दवाडा खास, प0ह0नं-22, ब0नं-177, तह0 व जिला छिंदवाडा में स्व. दिनकर राव दाढे पिता स्व. उकंड्याराव उर्फ शंकरराव दाढे द्वारा धारित नजूल ब्लाक नं-50 प्लाट नं-1/41 रकबा 2377 वर्गफुट पर निर्मित पक्का मकान के संबंध मे निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर स्व. दिकनकर राव का स्वर्गवास दि-23/01/2016 को स्थान छिंदवाडा में होने पर नामातंरण हेतु आवेदन दि-4-5-2016 को प्रस्तुत किया जिसमें को इश्तहार जारी किया गया । तत्पश्चात आवेदक व्दारा अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की।

तत्पश्चात विद्वान कनिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रकरण में राजस्व निरीक्षण से प्रतिवेदन आहूत किया गया । राजस्व निरीक्षक व्दारा उक्त नामान्तरण के प्रकरण में शासन व्दारा जारी किये

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/1698

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक अधिवक्ता श्री एन.के. पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नजूल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा</u>**	